न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— धारा सिंह मीणा, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः—01/2021/अपील

गुमानी देवी पुत्री स्व0 श्री हणमान पत्नी श्री भगवान स्वरूप जाति कुम्हार निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील धोद जिला सीकर हाल आबाद कुमावत बस्ती, सिहोट छोटी तहसील धोद जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

1 भंवरलाल पुत्र स्व0 श्री हणमान जाति कुम्हार निवासी पालवास रोड़, सीकर तहसील व जिला सीकर
2 सीताराम पुत्र स्व0 श्री श्यामलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील धोद जिला सीकर
3 श्रीराम पुत्र स्व0 श्री श्यामलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील धोद जिला सीकर
4 पप्पू पुत्र स्व0 श्री श्यामलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील धोद जिला सीकर
5 हरिराम पुत्र स्व0 श्री श्यामलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील धोद जिला सीकर
6 शंकर पुत्र स्व0 श्री श्यामलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील धोद जिला सीकर
7 बजरंग पुत्र स्व0 श्री श्यामलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील धोद जिला सीकर
8 आशा पुत्री स्व0 श्री श्यामलालपत्नी श्री नेमीचन्द हाल निवासी ग्राम बाजौर तहसील व जिला सीकर
9 भू—धारक जरिये तहसीलदार तहसील कार्यालय सीकर जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व नामांतकरण सं. 184 दिनांक 03.12.1995 द्वारा तहसीलदार सीकर

वकील अपीलांट श्री निर्मलकुमार शर्मा
वकील रेस्पोडेंट श्री सांवरमल चौधरी

निर्णय **दिनांकः—26.11.2021**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पिता व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ता 08 के दादा स्व0 हनुमान पुत्र तनसुख जाति कुम्हार निवासी कंवरपुरा की खातेदारी, काश्तकारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 819 रकबा 0.72 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 820 रकबा 2.15 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 2.87 है0 बारानी द्वितीय वाकै ग्राम कंवरपुरा तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित है, उक्त कृषि भूमि पक्षकारान की पैतृक कृषि भूमि है, जिसमें उनको बतौर विरासत कानूनी अधिकार प्राप्त है। अपीलान्ट के पिता हणमान की मृत्यु दिनांक 27.06.1984 हो चुकी है, जिनकी मृत्यु के समय उनके विधिक वारिसान में अपीलान्ट की माता लादी देवी अपीलान्ट के दो भाई भंवरलाल व श्यामलाल एवं अपीलान्ट स्वयं थे। इस प्रकार अपीलान्ट के पिता की मृत्यु के समय उसके कुल 04 जिवित विधिक उत्तराधिकारी थे, जिनका स्वर्गवास हणमान की कृषि भूमि में विरासत के आधार पर बराबर—बराबर हक व

अति॰ जिला कलक्टर, सीकर

हिस्सा होता है। अपीलान्ट स्व0 हणमान के काश्तकारी, खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा नम्बर 819, 820 वाकै ग्राम कंवरपुरा की भूमि का विरासत का नामान्तकरण संख्या 184 दिनांक 03.12.1996 तहसीलदार, सीकर के द्वारा गलत रूप से स्वीकृत किया गया, जिस नामान्तकरण आदेश की स्वीकृति से पूर्व स्व0 हणमान की विरासत के सम्बन्ध में समुचित जाँच राजस्व अधिकारी, कर्मचारियों व पटवारी हल्का द्वारा नहीं की गयी एवं गलत रूप से अपीलान्ट को स्व0 हणमान की विरासत में दर्शित नहीं करके नामान्तकरण संख्या 184 स्वीकृत किया गया एवं अपीलान्ट को उसके पिता की विरासत में छोड़ी गयी कृषि भूमियों से बदनियतीपूर्वक वंचित करने के लिये गलत राजस्व रिकॉर्ड तैयार किया गया, जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार अपीलान्ट जो स्व0 हणमान की जायदाद पुत्री है, उसे अपने पिता के निंवसीयत फौत होने की स्थिति में उनकी विरासत में बराबर का हक हिस्सा प्राप्त होता है, अपीलान्ट आज भी अपने पिता की मृत्यु के उपरान्त उक्त छोड़ी गयी कृषि भूमियों खसरा नम्बर 819 व 820 वाकै ग्राम कंवरपुरा में अपने हक व हिस्से के अनुरूप काबिज है। जो हिस्सा अपीलान्ट के पिता की मृत्यु पर उसके 1/4 भाग तथा अपीलान्ट की माता लादी देवी की मृत्यु दिनांक 23.12.1996 के पश्चात 1/3 हक व हिस्सा हो जाता है, जिस अनुरूप वह भूमियाँ काबिज काश्तकार है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ता 08 एक ही परिवार कुनबे से सम्बन्धित है, जिनका सजरा खानदान निम्नानुसार है:-

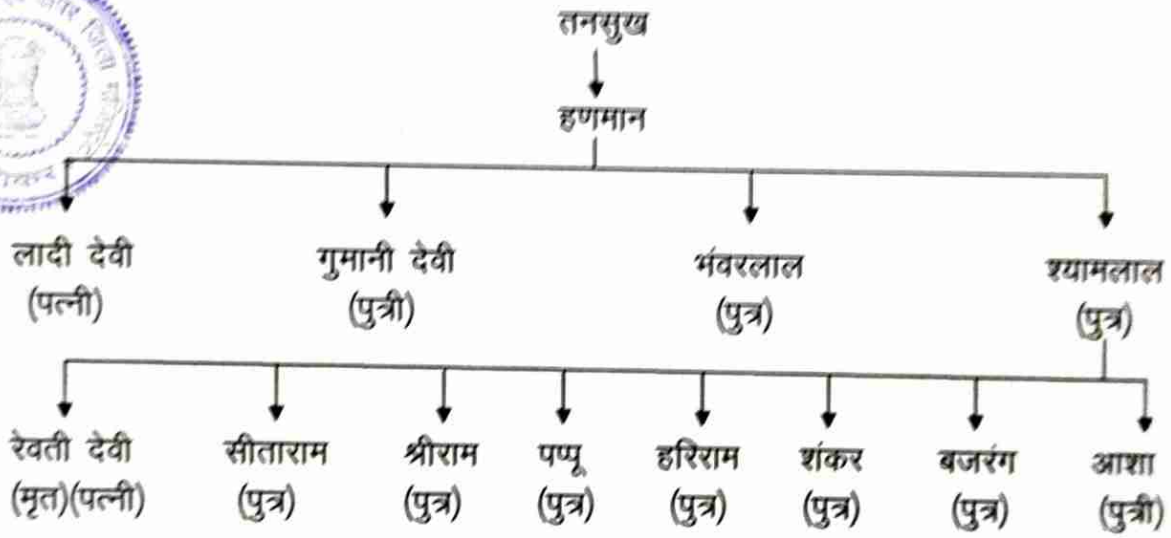

उक्त सजरा खानदान के अनुसार अपीलान्ट के पिता हणमान पुत्र तनसुख की निंवसीयत मृत्यु पर अपीलान्ट व उसके दो अन्य भाई भंवरलाल, श्यामलाल व माता लादी को स्व0 हणमान की विरासत में 1/4 समान अंश प्राप्त हुआ। उक्त स्थिति को छुपाकर अपीलान्ट के भाई व माता ने जानबूझकर अपीलान्ट को उसके हक व हिस्से से वंचित करने के लिये सजरा खानदान के सम्बन्ध में समुचित स्थिति को छुपाया जाकर अकेले अपने नाम से नामन्तकरण दर्ज करवा लिया गया, जो नामान्तकरण आदेश विरूद्ध कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि किसी भी व्यक्ति के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार से उसके हितों के बाबत कोई आदेश पारित किये जाने से पूर्व उसको सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना उचित एवं आवश्यक है, किन्तु नामान्तकरण संख्या 184 स्वीकृत किये जाने से पूर्व अपीलान्ट को किसी भी प्रकार से सुनवाई का नोटिस अथवा जानकारी नहीं दी गयी और ना ही कोई सहमति प्राप्त की गयी। नामान्तकरण संख्या 184 वाकै ग्राम कंवरपुरा को दर्ज एवं स्वीकृत किये जाने से पूर्व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों की भी पालना नहीं की गयी एवं जानबूझकर अपीलान्ट को उसके विधिक अधिकारों से वंचित करने के लिये उसका नाम विरासत की कृषि भूमियों के बाबत नहीं भरा गया, ना ही इस

अति. जिला कलक्टर, सीकर

बाबत नामान्तकरण नियमों की समुचित पालना की गयी, इसलिये चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण निरस्त किया जाना प्रार्थनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण संख्या 184 दिनांक 03.12.1995 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए अपील स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता रेस्पो. ने दौराने बहस अपील मियाद बाहर होने पर आपत्ति जाहीर की एवं मौके पर अपीलांट का कब्जा नहीं होने बाबत कथन किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामांतकरण पैतृक सम्पदा से सम्बंधित है। जिसका मियाद के बिन्दु पर निस्तारण नहीं जाकर मूल नामान्तकरण के सम्बंध में निर्णय किया जाना उचित प्रतीत होता है। अपीलाधीन नामान्तकरण खातेदार हणमान फौत होने पर जायन्दा लड़को के नाम तस्दीक किया गया है। अपीलाधीन नामान्तकरण खातेदार हणमान फौत होने पर उसके स्थान पर लादी बेवा हणमान भंवरलाल श्यामलाल पि. हणमान जाति कुम्हार हि.बराबर सा.सीकर के नाम तस्दीक किया गया है। अपीलांट मृतक खातेदार हणमान की पुत्री होने के नाते अपीलांट का नाम विरासत में दर्ज नहीं किया गया तथा विरासत का नामान्तकरण (चुनौतिग्रस्त) दर्ज करते समय उसका नाम नामान्तकरण में सम्मिलित नहीं किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 में यह प्रावधान है कि काश्तकार की निर्वसीयतीय मृत्यु होने पर उसका उत्तराधिकार पर्सनल लॉ के अनुसार निर्धारित किया जायेगा व तद्नुसार अभिलेख में दर्ज किया जायेगा। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के मुताबिक हिन्दु पुरूष के पुत्रों तथा पुत्रियों को समान दर्जा प्राप्त है। इस प्रकार अपीलांट को मृतक खातेदार की पैतृक सम्पति में अपना हक प्राप्त करने का अधिकार है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण संख्या 184 दिनांक 03.12.1995 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार धोद को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलाधीन नामान्तकरण के सम्बंध में मृतक खातेदार के विधिक वारिसान की जांच की जाकर नियमानुसार पुनः नामान्तकरण तस्दीक करें।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धारा सिंह मीणा)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

अति. जिला कलक्टर, सीकर